न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर

न अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस
पत्र संख्या :– 27/2021

गोपाल वयस्क पुत्र श्री जैला उर्फ जयनारायण
जगदीश वयस्क पुत्र श्री जैला उर्फ जयनारायण
लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री जैला उर्फ जयनारायण
राजकुमार पुत्र श्री जैला उर्फ जयनारायण
नन्छी देवी पत्नी स्व0 श्री जैला उर्फ जयनारायण
समस्त जाति यादव निवासी ढाणी तेजाजी की, ग्राम बाडीगरों की ढाणी तन उदावाला , उपतहसील मनोहरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

(प्रार्थीगण)

बनाम

1. चन्दा वयस्क पुत्र स्व0 श्री रेखला
2. नन्दा वयस्क पुत्र स्व. श्री रेखला
3. बंशीधर पुत्र स्व0गोविन्दा
4. सुरेश पुत्र स्व0 गोविन्दा
5. श्री श्यामा वयस्क पुत्र स्व0 भूरा
6. मंगला पुत्र स्व0 भूरा(मृतक दौराने कार्यवाही)
   6/1 रामकरण पुत्र स्व0 मंगला
   6/2 नाथी पुत्री स्व0 मंगला
   6/3 सुमन पुत्री स्व0 मंगला
   6/4 धोली पुत्री स्व0 मंगला
   6/5 हंसी पुत्री स्व0 मंगला
   6/6 प्रेम देवी पत्नि स्व0 मंगला
   समस्त जाति अहिर, निवासी उदावाला , उपतहसील मनोहरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
8. उप पंजीयक उप तहसील मनोहरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
9. ऑरियण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स हाल परिवर्तित पंजाब नेशनल बैक जरिये प्रबन्धक बैक ऑफ कामर्स शाखा शाहपुरा जिला जयपुर
10. युनियन बैक ऑफ इण्डिया जरिये प्रबन्धक युनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा शाहपुरा जिला जयपुर

अप्रार्थीगण

11. रामेश्वरी देवी यादव पुत्री स्व0 श्री जैला उर्फ जयनारायण पत्नि रिछपाल यादव।
12. गुलाब देवी यादव पुत्री स्व0 जैला उर्फ जयनारायण पत्नी श्यामलाल यादव।
    समस्त जाति अहिर निवासी ढाणी गोपाला की ग्राम उदावाला उपतहसील मनोहरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1. श्री मातादीन शर्मा प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री मंगलचन्द यादव एडवोकेट अप्रार्थीगण की ओर से

निर्णय दिनांक 29-9-22

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण/प्रार्थीगण ने उपरोक्त उनवानी प्रार्थना पत्र आज न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है जिसमें वादीगण/प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूर्ण आशा है। प्रार्थीगण तरतीबी अप्रार्थीगण व अप्रार्थीगण एक ही पूवर्ज के वंशज है जिनका सजरा खानदान निम्न प्रकार है:–

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

झूथा(फौत)

Scanned with OKEN Scanner

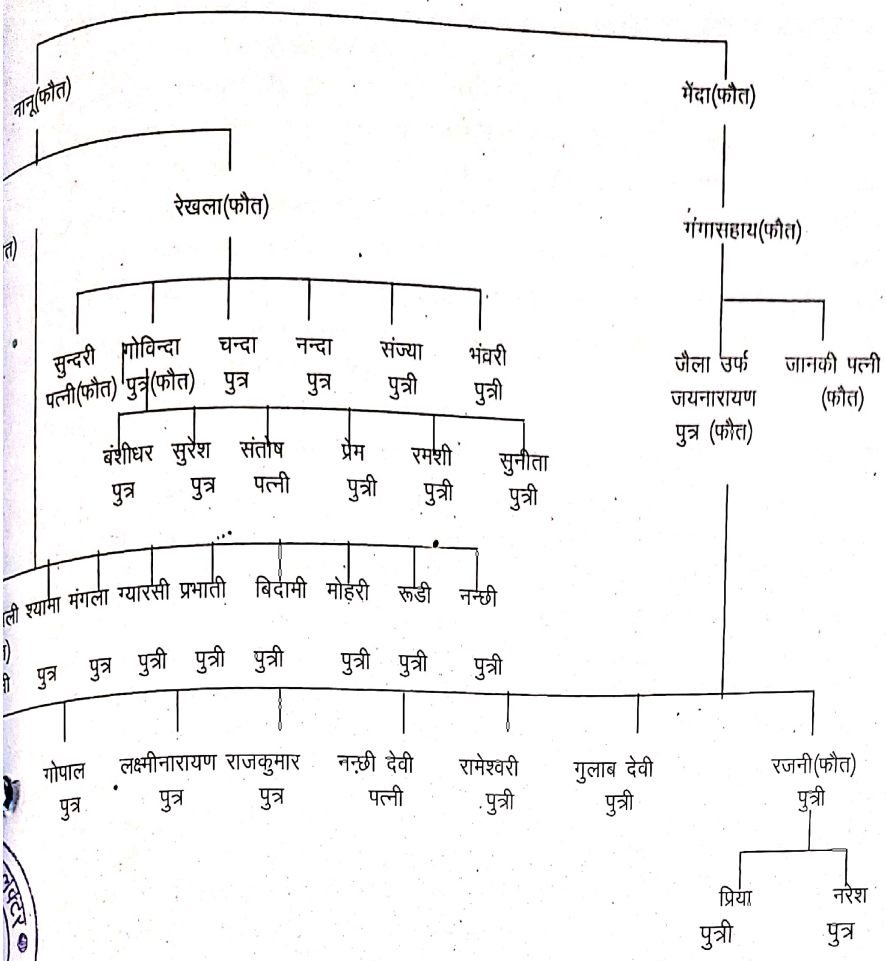

प्रार्थीगण एवं तरतीबी अप्रार्थीगण व अप्रार्थीगण एक ही कुटुम्ब व परिवार के व्यक्ति है, जिनके पूर्वज त हिन्दू परिवार के सदस्य थे तथा वे सम्पूर्ण आराजीयात की सम्मिलित रूप से काबिज काश्त करते आये है। सम्पूर्ण आराजीयात जो संयुक्त रूप से वादीगण, तरतीबी अप्रार्थीगण का पूर्वज मेंदा तथा नानू करते थे जिनमें कुछ भूमि दोनों के संयुक्त खातेदारी मे दर्ज हो गयी परन्तु कुछ भूमि अप्रार्थीगण के नानू अकेले के नाम दर्ज हो गयी क्योंकि वह परिवर में बड़ा तथा कर्ताखानदान था तथा राजकार्य काम वह ही देखता था प्रार्थीगण का पूर्वज मेंदा अत्यन्त भोला–भाला तथा सीधा–सादा व्यक्ति था भोलेपन का नाजायज फायदा उठाकर कुछ भूमि अकेले अपने नाम संयुक्त हिस्सेदारी व पूर्वजों की में ज्यादा भूमि प्राप्त करने की बदनियती से अपने नाम करा ली जो काबिल दुरूस्ती है। जमाबंदी 2019 के अनुसार मेंदा व नानू पिता झूथा जाति अहीर हिस्सा बराबर खतौनी संख्या 932 के साबिक नं0 1938 रकबा 17 बिस्वा, 1939 रकबा 8 बिस्वा, 1951 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 2208 रकबा 1 14 बिस्वा, 2209 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, 2210 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, 2211 रकबा 1 बीघा 3 , 2243 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, 2774 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, 2776 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, 2837 2 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 11 कुल रकबा 16 बीघा 19 बिस्वा वाकै ग्राम मनोहरपुर स्थित रही है के खातेदार काश्तकार बरूए जमाबन्दी संवत् 2019 के प्रार्थीगण एवं तरतीबी अप्रार्थीगण का पूर्वज मेंदा प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 का पूर्वज नानू रहा है उक्त मेंदा व नानू उपरोक्त भूमि के बहिस्सा र के खातेदार काश्त कर रहे है। मूल राजस्व ग्राम मनोहरपुर से हाल सैटलमेण्ट की कार्यवाही में एवं श्चात् विभिन्न राजस्व ग्राम बने है। आराजी साबिक खसरा नम्बरान के मिलान क्षेत्रफल से हाल खसरा 3050/0.27 है0, 3059/0.26 है0, 3746/0.26 है0, 3747/0.58 है0, 3748/0.14 है0, 3744/0.47 3745/0.28 है0, 3738/0.34 है0, 3739/0.11 है0, 4295/0.10 है0, 4296/0.07 है0, 4305/0.32 4306/0.29 है0, 3755/0.38 है0, 3756/0.44 है0 कुल किता 15 रकबा 4.54 है0 वाके ग्राम मनोहरपुर ुम हुए है, जिसकी खातेदारी आधार वर्ष सम्वत् 2042 में हिस्सा 1/2 भाग की प्रार्थीगण एवं तरतीब र्थीगण के पूर्वज जैला पुत्र गंगासहाय के नाम तथा शेष 1/2 भाग की खातेदारी भूरा व रेखला पिसरान पूर्वज अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 के नाम रही है। आराजी आराजी का प्रार्थीगण के पूर्वज अथवा के वंशजों व प्रार्थीगण तरतीबी अप्रार्थी तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 के पूर्वजों एवं वंशजों तथा र्थी संख्या 1 लगायत 6 के मध्य आज तक वैधानिक रूप से कभी भी बंटवारा नहीं हुआ है अपितु तसल्ली से पृथक पृथक काश्त करते चले आ रहे हैं तथा वर्तमान मे भी काबिज काश्त है। साबिक सरा नं0– 1951 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा वाकै मनोहरपुर, के हिस्से 1/2 भाग को नानू के वंशज अर्थात्

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner

र्थी सं0– 1 लगायत 6 के पूर्वज रेखला व भूरा ने किशना पुत्र भूरा जाति अहीर निवासी बाडीगरों की से अदला बदली कर चुके है, जिसके परिणाम स्वरूप उक्त साबिक खसरा नम्बर 1951 से बने हाल नं0 3059 वाकै ग्राम बाडीगरों की ढाणी की खातेदारी हिस्सा 1/2 भाग की प्रार्थीगण एवं तरतीबी र्थीगण के नाम दर्ज है तथा शेष 1/2 हिस्से की खातेदारी मृतक किशना उपरोक्त के नाम दर्ज है ना वर्तमान में कोई विवाद नहीं है इस कारण उक्त भूमि की बाबत प्रस्तुत वाद दायर नहीं किया गया ाल सैटलमेण्ट की कार्यवाही के पश्चात राजस्व ग्राम मनोहरपुर से बने पृथक–पृथक राजस्व ग्रामों के रूप हाल आराजी खसरा नं0 3050/0.27 है0, 3738/0.34 है0, 3739/0.11 है0, 3744/0.47 है0, /0.28 है0, 3746/0.49 है0, 3747/0.58 है0, 3748/0.14 है0, 4295/0.10 है0, 4296/0.07 है0, /0.32 है0, 4306/0.29 है0, कुल किता 12 कुल रकबा 3.46 है0 वाकै ग्राम बाडीगरों की ढाणी स्व गांव), तहसील शाहपुरा में निर्धारित किये गये है जिसके प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण प्रत्येक भाग के खातेदार काश्तकार है तथा अप्रार्थीगण संख्या 5 व 6 प्रत्येक 1/8– 1/8 के तथा अप्रार्थी 1 व 2 प्रत्येक– 1/12–1/12 भाग के तथा अप्रार्थी संख्या 3 व 4 प्रत्येक 1/24–1/24 भाग के ार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा हाल खसरा नम्बर 3755/0.38 है0, 3756/0.44 है0, वाकै लोचूकाबास, तहसील शाहपुरा निर्धारित किये गये है जिसकी खातेदारी भी अप्रार्थी सं0– 1 व 2 प्रत्येक स्से 1/12 अप्रार्थी सं0– 3 व 4 प्रत्येक के हिस्से 1/24 व प्रतिवादी सं0– 5 व 6 प्रत्येक का हिस्सा 2 तथा शेष हिस्सा 1/12 का भाग की खातेदारी मृतक मु0घापली के नाम दर्ज है जो अप्रार्थी सं0 5 की माता के नाम दर्ज है जिसकी मृत्यु हो चुकी है जिस पर पुत्रगण काबिज है। यद्यपि वादपत्र की संख्या 9 में वर्णित अनुसार हाल खसरा नं0 3050/0.27 है0 वर्तमान में प्रार्थीगण व तरतीबी र्थीगण तथा अप्रार्थीगण 1 लगायत 6 की खातेदारी मे दर्ज है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 व पूर्वजों ने उक्त भूमि तनाह प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण को अपनी अन्य सहखातेदारी की भूमि जस्व रिकार्ड में अकेले अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 व उनके पूर्वजों के नाम दर्ज चली आई भूमि कि ख.न. 1952 रकबा 1 बीघा वाकै ग्राम मनोहरपुर जिसके वर्तमान सेटलमेण्ट में बने नये ख.न. 3060 0.14 है0, 3061 रकबा 0.15 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.29 है0, वाकै ग्राम बाडीगरों की ढाणी के प्रार्थीगण एवं तरतीबी अप्रार्थीगण के हिस्से में संभला रखी है। इस कारण तदनुसार उक्त भूमि से र्थीगण संख्या 1 लगायत 6 का नाम हजफ किया जाकर उक्त भूमि की खातेदारी प्रार्थीगण एवं तरतीबी र्थीगण के नाम दर्ज की जाकर तद्नुसार उन्हें उक्त भूमि का खातेदार काश्त घोषित फरमाया जाना न सम्मत उचित एवं आवश्यक है। प्रार्थीगण के द्वारा उक्त आराजी का अप्रार्थीगण का नाम हफज ने हेतु कहने पर कतई ध्यान नहीं दिया अपितु अर्सा 1 सप्ताह पूर्व उन्होंने एलानिया धमकी दी कि हम ी भी भूमि का कोई बंटवारा नहीं करायेगे तथा लठैत व नागे व्यक्तियों को बैचान करेगें । अन्त में गण ने आराजी मुतनाजा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मयशपथ पत्र पेशकर निवेदन है किया कि ी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला मूल वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से इस र पाबंद फरमाया जावे कि वे आराजी मुतनाजा हाल खसरा नं0 3738/0.34 है0, 3739/0.11 है0, 4/0.47 है0, 3745/0.28 है0, 3746/0.49 है0, 3747/0.58 है0, 3748/0.14 है0, 4295/0.10 है0, 6/0.07 है0, 4305/0.32 है0, 4306/0.29 है0 कुल किता 11 कुल रकबा 3.19 है0 है वाकै ग्राम ारों की ढाणी, तहसील शाहपुरा तथा खसरा नं0 3755/0.38 है0, 3756/0.44 है0 कुल किता 2 कुल ा 0.82 है0 है वाकै ग्राम लोचुकावास, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर से प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण जबरन बेदखल कर खुद कब्जा काश्त ना करे ना अन्य का करावे तथा आराजी मुतनाजा को अन्य ी को अन्तरित कर अन्तरण डीड पंजीबद्ध ना करे और आराजी मुतनाजा में मिट्टी ना खोदे, मौके की वत स्थिति बनाये तथा प्रार्थीगण एवं तरतीबी अप्रार्थी को उक्त भूमि में शांतिपूर्वक काश्त करने देवें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 से 6 ओर उनके अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। वकील अप्रार्थी ने अपने जवाब र्थना पत्र के संबंध में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र जिस पर प्रकार पेश किया है वह गलत है प्रार्थीगण तरतीबी अप्रार्थीगण ने अपना पूर्वज जैला उर्फ जयनारायण को गंगासहाय का पुत्र होना अंकित किया है कि जैला पुत्र जयनारायण गंगासहाय का पुत्र ना होकर कन्हैया का पुत्र था जो ग्राम राजपुरा का रहने ला था । गंगासहाय नाऔलाद फौत हुआ था इसलिए गंगासहाय की समत्ति से प्रार्थीगण व तरतीबी ार्थीगण का कोइ सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। प्रार्थीगण ने उक्त सम्पत्ति को हडप करने की गरज सू ठा सजरा खानदान अंकित किया है इसलिए प्रथम दृष्टया ही प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने य है । प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण कभी सम्मलित रूप से काश्त नहीं कर रहे है। प्रार्थीगण एवं तरतीबी प्रार्थीगण के पूवर्ज मंदा तथा नानू ने कभी भी संयुक्त रूप से कास्त नहीं की अपने अपने हिस्से की भूमि र अलग अलग कास्त करते रहे है । अप्रार्थीगण के पूर्वज नानू के नाम जो भूमि थी उसको नानू स्वंय ब्जा कास्त शुरू से ही करता आ रहा था उसकी भूमि से अप्रार्थीगण या अन्य किसी का कोई सम्बन्ध नहीं ा तथा न ही वर्तमान में है राजकार्य सब अपना अपना देखते थे तथा खातेदारी भूमि भी अपनी अपनी

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner

। प्रार्थीगण के द्वारा खण्ड सं0 5 में वर्णित तथ्य गलत होना जाहिर करते हुए जवाब पश किया
बिक ख0नं0 1947, 1952, 2275 कुल किता 3 रकबा 5बीघा 7बिस्वा वाके ग्राम मनोहरपुर नानू के
जस्व रिकार्ड में आई उक्त आराजीयात से अन्य का कोइ सम्बन्ध नहीं रहा तथा मंदा के राजस्व
में आई आराजीयात से नानू का सम्बन्ध सरोकार नहीं रहा अब अपनी भूमि पर काबिज रहकर कास्त
है है। अप्रार्थीगण ने यह भी जाहिर किया कि साबिक खसरा नम्बर के मुताबिक हॉल खसरा नम्बर
उत्तरदाता का हिस्सा ना तो मिन उत्तर दाता का ना ही मिन उत्तरदाता के पूर्वजों द्वारा प्रार्थगण
न के नाम किसी तरह की भूमि किसी भी खसरा नम्बर के बदले नाम नहीं करवाकर दी सभी तथ्य
अंकित किये गये है तथा आराजी खसरा नम्बर 3060, 3061 मिन उत्तरदाता की खातेदारी भूमि है
जस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा खसरा नम्बर 3050 मे मिन उत्तरदाता का हिस्सेनुसार कब्जा काश्त
ा रहा है उक्त आराजीयात से प्रार्थीगण तरतीबी अप्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है ।
3060, 3061 वाके ग्राम बाडीगरो की ढाणी तन मनोहरपुर में प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण का
म्बन्ध स सरोकार नहीं है ,बल्कि अप्रार्थीगण का अपने पूर्वजो के समय से ही कब्जा काश्त चला आ
तथा वर्तमान में भी कब्जा काश्त है । इस प्रकार प्रार्थीगण को 1/2 का प्रार्थीगण को खातेदार
ार घोषित नहीं किया जा सकता तथ न ही अप्रार्थीगण का नाम खातेदारी से हफज किया जा
है बल्कि सभी गलत किये गये है। अन्त में अप्रार्थीगण ने निवेदन किया कि प्रश्नागत आराजीयात से
ण व तरतीबी अप्रार्थीगण का कोई सरोकार ही नहीं है तो भूमि का बंटवाराकरवाने का प्रश्न हीं पैदा
ता इसलिए प्रथम दृष्टया ही साबिक नहीं है, सुविध का सन्तुलन व अकथनीय हानि का भी प्रार्थीगण
में न होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया

वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई । प्रार्थीगण के वकील ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को
करते हुए अप्रार्थीगणो को वादपत्र के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने हेतु निवेदन
तथा अपने समर्थन में 2013 आर बी जे पेज नं0 216, 2003 आर आर डी पेज नं0 74 व 2006
जे पेज ने0 417 पेश किये । वकील अप्रार्थीगण ने अपन जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर
आकर्षित कर अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया तथा अपने
न में रजिस्ट्र खसरा नम्बर 2834, 2835, 2836 व जागा की लिखावट पेश की । उपरोक्त न्यायिक
त्त का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया प्रकरण में अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत निर्धारित तीनों बिन्दुओं पर मेरा
एवं आदेश निम्न प्रकार हैः—

(1) प्रथम दृष्टया केसः—प्रार्थीगण ने जाहिर किया कि प्रार्थीगण के पूर्वज मेदा व नानू संयुक्त रूप से
त करते थे जिनमें कुछ भूमि अप्रर्थीगण के वंशज नानू अकेले के नाम दर्ज हो गयी । जिसमे आराजी
रा नम्बर 3050 रकबा 0.27 है0 वर्तमान में प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण सं0 1 से 6
नाम खातेदारी में दर्ज होना स्वीकार करते हुए अप्रार्थीगण के पूर्वजो के द्वारा उक्त भूमि तनाह प्रार्थीगण
रतीबी अप्रार्थीगण को अपनी अन्य सहखातेदारी की भूमि जो राजस्व रिकार्ड में अकेले अप्रार्थीगण सं0 1
व उनके पूर्वजो के नाम दर्ज चली आई भूमि साबिक खसरा नम्बर 1952 रकबा 1बीघा से बने हॉल
नं0 3060, 3061 कुल किता 2 रकबा 0.29 है0 को अप्रार्थीगण को एवज में सम्भलाना जाहिर किया गया
जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि आराजी खसरा नम्बर 3050 जिसके साबिक ख0नं0 1938 व
9 है तथा राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करने पर पाया गया कि जमाबन्दी सं0 2039 में आराजी खसरा
र 1938 व 1939 मेदा, नानू पि0 झूथा के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रही है तथा साबिक आराजी
रा नं0 1952 जमाबन्द सं0 2019 में नानू पुत्र झूंथा के नाम खातेदारी में दर्ज रही है तथा हॉल खसरा
बर 3060, 3061 जमाबन्दी सं0 2042 में भूरा रेखा पि0 नानू के नाम खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार
स्व रिकार्ड के अवलोकन से जाहिर है कि आराजी खसरा नम्बर 3050 वर्तमान में भी तथा हॉल खसरा
बर 3050 के कायम किये गये साबिक खसरा नम्बर 1938 व 1939 अप्रार्थीगण के पूर्वज के नाम राजस्व
कार्ड में दर्ज रही है जब खसरा नम्बर 3050 प्रार्थीगण व उनके पूर्वजो के नाम पहले से ही नहीं है तो
दला बदली किस प्रकार से होगी यह साबित नहीं होता है चूंकि प्रार्थीगण जो भूमि अदला बदली के लिए
हा है वह भूमि प्रार्थीगण के पूर्वजो के नाम कभी रही नहीं है। इस कारण प्रकरण के तथ्यों एवं
रिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय के विनम्र मत में प्रार्थीगण अपने पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध
थम दृष्टया केस साबित नही कर पाये है।

(2) सुविधा का संतुलनः— प्रकरण में वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण, व अप्रार्थीगण, सह खातेदार है तथा
यायालय के मत में प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया केस का बिन्दु नही बनना पाया गया है। प्रार्थीगण व
प्रार्थी संख्या 1 दोनो ही वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार है इस कारण सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण
के पक्ष में नही है।

(3) अपूर्णीय क्षतिः—प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में कथन किया कि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण
को उनके हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल कर, खुद कब्जा काश्त न करे ना अन्य से करावे तथा

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला—जयपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner

मुतनाजा को अन्य किसी को अन्तरित कर अन्तरण डीड पंजीबद्ध ना करे और आराजीयात में
ना खोदे मौके की यथास्थिति बनाये रखे । प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने इन्ही तथ्यों को बहस के
दोहराया है। अप्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में कथन किया है कि
ण वादग्रस्त आराजी के खातेदार काश्तकार है जिसके विरूद्ध कानूनन रूप से निषेधाज्ञा जारी नही
सकती है। तथा अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को बेदखल करने की कोई धमकी नही दी है ।इस कारण
ण को किसी प्रकार की अकथनीय हानि नंही होती है। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस इन्ही
को दोहराया। न्यायालय के मत में वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार द्वारा अपने हक हिस्से की भूमि
पने उपयोग उपभोग में लेने तथा अपने हिस्से की हद तक भूमि का अंतरण करने से दूसरे
तेदार को किसी भी प्रकार की अकथनीय हानि नही होती है तथा प्रार्थीगण ने पक्ष में न्यायालय द्वारा
दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन का बिन्दु उपरोक्त विवेचन से बनना नही पाया है। इस कारण
ीय हानि का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में नही है।

आदेश

मतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण एतद द्वारा अस्वीकार
जाकर खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 29/9/2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया

(मनमोहन)
सहायक कलक्टर (फ.ट.)
सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर)
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner